कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मीरजापुर के परिसर में स्थित मिठाई, फोटो स्टेट आदि की 12 दुकानें तथा साइकिल स्टैण्ड की नीलामी वर्ष 2020–2021 हेतु की जानी है। पूर्व में इस हेतु सूचना प्रकाशित की गयी थी। किन्तु कोविड–19 महामारी के कारण न्यायालय परिसर बन्द होने के कारण नीलामी प्रकिया पूरी नहीं की जा सकी थी।

अतएव नीलामी प्रकिया पुनः प्रारम्भ करते हुए दुकान/साइकिल स्टैण्ड जिनका विवरण निम्नवत है, के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित की जाती है:–

कम संख्या	विवरण दुकान	दुकान का प्रकार	न्यूनतम धरोहर की धनराशि
1	दुकान संख्य–1	पूड़ी मिठाई	रूपये–10,000.00
2	दुकान संख्य–2	मिठाई नमकीन	रूपये–10,000.00
3	दुकान संख्य–3	चाय बिस्कीट, नमकीन	रूपये–10,000.00
4	दुकान संख्य–4	फोटो स्टेट	रूपये–5,000.00
5	दुकान संख्य–5	चाय बिस्कीट, नमकीन	रूपये–10,000.00
6	दुकान संख्य–6	चाय बिस्कीट, नमकीन	रूपये–10,000.00
7	दुकान संख्य–7	फल बेचने	रूपये–5,000.00
8	दुकान संख्य–8	साइकिल स्टैण्ड	रूपये–10,000.00
9	दुकान संख्य–9	चाय, बिस्कीट, नमकीन	रूपये–10,000.00
10	दुकान संख्य–10	चाय, बिस्कीट, नमकीन	रूपये–10,000.00
11	दुकान संख्य–11	फोटो स्टेट	रूपये–5,000.00
12	दुकान संख्य–12	फोटो ग्राफर	रूपये–5,000.00
13	दुकान संख्य–13	फोटो स्टेट	रूपये–5,000.00

इच्छुक व्यक्ति उपरोक्तानुसार धरोहर धनराशि नगद दिनांक 03.09.2020को सांय 4.00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा कर सकते हैं। खुली बोली की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 05.09.2020 को सांय 4.30 बजे होगी। नीलामी प्रकिया के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सामान्य शर्तें:–

1. जो दुकान जिस प्रयोजन के लिए नीलामी में दी जायेगी, उसके अलावा उस दुकान का प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
2. न्यायालय परिसर में उपरोक्त दुकानों से किसी भी मादक–पदार्थ की बिकी किया

जाना पूर्णतयः प्रतिबंधित रहेगा।

3. दुकानदार, दुकान के सामने भीड़–भाड़ एकत्रित नहीं करेंगे तथा कोविड–19 के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे।
4. दुकानदार किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे तथा किसी भी दशा में न्यायालय परिसर में गन्दगी नहीं करेंगे और साफ–सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखेंगे।
5. दुकानदार अपने दुकान के सामने स्वयं कूड़ादान रखेंगे और उसकी नियमित सफाई स्वयं का दायित्व उन्हीं का होगा।
6. नीलामी की सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा बोली गयी, बोली की पूरी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि 3 दिन के अन्दर जमा न करने की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर की धनराशि स्वतः जब्त हो जायेगी।
7. केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि इस निविदा सूचना की प्रति जन सामान्य के सूचनार्थ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका, न्यायालय के नोटिस बोर्ड, जिला बार एसोशिएन मीरजापुर के नोटिस बोर्ड सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करवाना तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, मीरजापुर की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय)	(जितेन्द्र मिश्रा)	(अनिल कुमार यादव)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी.द्वितीय मीरजापुर।	अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मीरजापुर।	अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5 मीरजापुर।

प्रतिलिपिः– 1.जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को समस्त समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2.सिस्टम अधिकारी, जनपद न्यायालय मीरजापुर, निविदा सूचना को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय मीरजापुर के वेबसाइड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।